सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
पौष 26, शुक्रवार, *शाके* 1947- जनवरी 16, 2026 Pausa 26, Friday, Saka 1947- January 16, 2026	

भाग 6 (ख)

जिला बोर्डो, परिषदों एवं नगर आयोजना संबंधी, विज्ञप्तियां आदि

विभाग का नामः उपायुक्त लैण्ड (प्रथम), नगर निगम जयपुर।

अधिसूचना

जयपुर, मार्च 22, 2024

<u>राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू-उपयोग परिवर्तन नियम 2010 एवं (संषोधन) नियम-2021, 2024 के तहत् भू-उपयोग परिवर्तन आदेश</u>

संख्या एफ13( ) उपा.आयो .प्रथम/ननिज/2024/ 1083 :-मैसर्स कामधेनू कन्सट्रक्षन प्रा0 लि0 जरिए निदेषक श्री नन्द कुमार भू.सं. पता एल-3, कृष्णा मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर का निम्न वर्णित भूखण्ड का राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू-उपयोग परिवर्तन नियम नियम 2010 एवं (संषोधित) नियम-2021 के अधीन वर्तमान अनुमत का भू-उपयोग आवासीय से व्यावसायिक होटल प्रयोजनार्थ (होटल नीति के तहत) भू-उपयोग हेतु अनुज्ञा के लिए आवेदन किया है :-

शहर का नाम	योजना का नाम	भूखण्ड	क्षेत्रफल
जयपुर शहर	सी-स्कीम, जयपुर	भू.सं. सी-100,सुभाष मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर	1944.44 व.ग.

इस भूखण्ड के व्यावसायिक होटल प्रयोजनार्थ (होटल नीति के तहत) भू-उपयोग परिवर्तन हेतु मांग पत्र दिनांक 15.03.2024 अनुसार भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क, व अन्य देय शुल्क नगर निगम के कोष में राषि रूप्ए आवेदन शुल्क 500/- रूपये, प्रषासनिक शुल्क 16258/- रूपये भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क होटल नीति के तहत देय नहीं है। बीएसयूपी शेल्टर 40645/- रूपये जमा करवा दिये गये है।

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (भू-उपयोग परिवर्तन) नियम 2010 एवं राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू-उपयोग परिवर्तन (संषोधित) नियम-2021 नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग के आदेष दिनांक 04.08.2022 एवं आदेष दिनांक 15.06.2023 के अधीन आवेदित भूखण्ड का उपयोग आवासीय से व्यवसायिक होटल प्रयोजनार्थ (होटल नीति के तहत) भू-उपयोग परिवर्तन सक्षम स्तर से स्वीकृति अनुसार निर्णय की पालना में स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अध्याधीन की जाती है।

1. यह आदेष व्यवसायिक होटल प्रयोजनार्थ (होटल नीति के तहत) भू-उपयोग परिवर्तन आदेष है, यह आदेष स्वामित्व का प्रमाण नहीं माना जावेगा। स्वामित्व के संबंध में विवाद होने पर जिम्मेदारी आप स्वयं की होगी।

2. निर्मित भवन पर निर्मित निर्माण व्यावसायिक होटल प्रयोजनार्थ (होटल नीति के तहत) में नियमन नहीं माना जावेगा। आवेदक को पृथक से नियमानुसार भवन निर्माण की स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।

3. आवेदक ऐसी कोई गतिविधियां संचालित नहीं करेगा, जिससे शांति भंग हो।

4. राज्य सरकार द्वारा जारी समय-समय पर आदेष/प्रपत्रों की सुनिष्चित पालना करनी होगी।

5. भू-रूपान्तरण के पष्चात् प्रनष्गत भूखण्ड पर ऐसी कोई गतिविधि नहीं की जा सकेगी जो आस-पास के

निवासकर्ताआेंं के लिए हानिकारक एवं संकटमय हो।

6. उक्त आदेश जारी करने की दिनांक से 2 वर्ष तक की अवधि में परिवर्तित उपयोग के अनुसार न्यूनतम 25 प्रतिशत निर्माण कार्य, नियमानुसार स्वीकृति प्राप्त कर करना आवश्यक होगा परन्तु यदि उक्त अवधि में निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किया गया हो तो नगर निगम द्वारा भू-रूपांतरण शुल्क की 10 प्रतिशत राशि प्रतिवर्ष शास्ती के रूप में वसूल की जावेंगी एवं उक्त अवधि 2 वर्ष तक बढ़ाई जा सकेंगी। यदि आदेश जारी होने की दिनांक से 4 वर्ष की अवधि में भी निर्माण कार्य पूर्ण नहीं करवाया गया है तो भू-उपयोग परिवर्तन आदेश स्वतः ही निरस्त

मान लिया जावेंगा तथा पुनः भू-रूपांतरण हेतु नवीन रूप से आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

7. भूखण्ड पर व्यावसायिक होटल प्रयोजनार्थ (होटल नीति के तहत) उपयोग किये जाने के दौरान यह सुनिश्चित किया जावें कि किसी भी परिस्थिति में वाहनो की पार्किंग भूखण्ड की कम्पाउण्डवाल के बाहर नहीं किया जावे। समस्त पार्किंग कम्पाउण्डवाल के अन्दर ही की जावें।

डॉ. गौरव सैनी,
आयुक्त,
नगर निगम जयपुर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।